प्रेस नोट-मॉनीटरिंग सैल
जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक 13.01.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 272,273 भादवि0 एवं 60/62 आबकारी अधि0 में आजीवन कारावास एवं कुल 24000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी़ सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व डॉ राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सैल, व थाना कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-09 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब बेचते पकड़े जाने के आरोपी बब्लू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को आजीवन कारावास एवं 24000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्तगण का विवरण

बब्लू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 758/2011 धारा 272,273 भादवि0 एवं 60/62 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब बेचते पकड़े जाने के आरोपी बब्लू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को आजीवन कारावास एवं 24000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।